

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2015

का.आ. 1581(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 5.07.2006 की अधिसूचना सं. का. आ. 998 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने "पैरागॉन चेरीटेबल ट्रस्ट, 1-11/12, पैरागॉन कन्डोमिनियम, पांडुरंग बुद्धकर मार्ग, वर्ली मुम्बई-400013" द्वारा झुग्गी-झोपड़ी और कारखानों के मजदूरों के बच्चों के लिए " 'मुक्तांगन' बालवाड़ी और स्कूल परियोजना" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाली दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 7 पर अधिसूचित किया था; जिसे आगे दिनांक 17-06-2008 की अधिसूचना सं. का. आ. 1471 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-2009 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे आगे दिनांक 14-06-2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 1397 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-2014 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे आगे दिनांक 27-12-2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3835 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-2015 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-2015, 2015-2016 और 2016-2017 के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 27-12-2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3835 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को आवर्ती खर्चों के लिए 37.80 लाख रुपये और कार्पस निधि के लिए 4.55 करोड़ रुपये से बढ़ाकर आवर्ती व्यय के लिए 100 लाख रुपये और कार्पस निधि के लिए 4.55 करोड़ रुपये कर दिया गया था;

और जबकि अनुमोदन की शेष अवधि के लिए अर्थात् 2016-17 तक के लिए, परियोजना लागत के आवर्ती व्यय के लिए 100 लाख रुपये और कार्पस निधि के लिए 4.55 करोड़ रुपये से बढ़कर आवर्ती व्यय के लिए 11.00 करोड़ रुपये और कार्पस निधि के लिए 4.55 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम की परियोजना लागत को आवर्ती व्यय के लिए 100 लाख रुपये और कार्पस निधि के लिए 4.55 करोड़ रुपये से बढ़ाकर आवर्ती व्यय के लिए 11.00 करोड़ रुपये और कार्पस निधि के लिए 4.55 करोड़ रुपये करने की सिफारिश है।

इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना सं. का.आ.998 (अ) दिनांक द्वारा 5.07.2006 में निम्नलिखित प्रभाव हेतु संशोधन करती है, नामतः -

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 7 के कॉलम (4) में, जोकि धारा 35 क ग के अन्तर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि से संबंधित है, में "आवर्ती व्यय के लिए 100 लाख रुपये और कार्पस निधि के लिए 4.55 करोड़ रुपये" अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के स्थान पर "आवर्ती व्यय के लिए 11.00 करोड़ रुपये और कार्पस निधि के लिए 4.55 करोड़ रुपये" अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं.152 /2015/फा. सं.वी -27015/1/2015 एस ओ(रा. स.)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)